



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082021-228696  
CG-DL-E-03082021-228696

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]  
No. 314]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2021/श्रावण 12, 1943  
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2021/SHRAVANA 12, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 3 अगस्त, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[विनिधान (निवेश) सलाहकार] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/34.— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में,-
  - I. विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,
    - i. खंड (कक), खंड (कग) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा।

ii. खंड (क) के पश्चात् और खंड (कग) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्, -

“(कक) “अक्रेडिटेशन एजेंसी” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (कक) में इसके लिए दिया हुआ है;

“(कख) “अक्रेडिटिड निवेशक” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (कख) में इसके लिए दिया हुआ है;”

II. विनियम 15क में, शब्द “ग्राहक से”, शब्दों “ग्राहक के साथ-साथ अक्रेडिटिड निवेशक से भी” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./179/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/31/1778 द्वारा, 21 जनवरी, 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 तत्पश्चात्,-
  - (1) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
  - (2) 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
  - (3) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
  - (4) 3 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/22, द्वारा
  - (5) 11 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/04, द्वारा
  - (6) 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/11, द्वारा संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd August, 2021

### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INVESTMENT ADVISERS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/34.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, namely, -

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Third Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013,-
  - I. In sub-regulation (1) of regulation 2,
    - (i) clause (aa) shall be numbered as clause (ac).
    - (ii) after clause (a) and before clause (ac), the following clauses shall be inserted, namely, –
 

“(aa) “accreditation agency” shall have the same meaning as assigned to it in clause (aa) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;

(ab) “accredited investor” shall have the same meaning as assigned to it under clause (ab) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;”
  - II. In Regulation 15A, after the word “client” and before the word “in”, the words and symbol, “including an accredited investor” shall be inserted.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./179/2021-22]

**Footnote:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 were published in the Gazette of India on January 21, 2013 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/31/1778.
2. The Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 were subsequently amended on, –
  - (1) 23<sup>rd</sup> May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
  - (2) 8<sup>th</sup> December, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/023.
  - (3) 17<sup>th</sup> April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
  - (4) 3<sup>rd</sup> July, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/22.
  - (5) 11<sup>th</sup> January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/04.
  - (6) 16<sup>th</sup> March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/11.